न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 870 / 2021
अनवान : –

1. मनोज कुमार खदरीया पुत्र श्याम सुन्दर खदरीया जाति अग्रवाल निवासी नौहर तहसील नोहर ।

– वादी

बनाम्

1. राजरथान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
2. अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड भादरा तहसील भादरा।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 ,राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– 1. श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
2. पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 09/07/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 4 बीकेके तहसील नोहर के खाता संख्या 67 / 67 के प० नं0 298 / 432 (44) के किला नं. 11 ता 14 प्रत्येक की 0.253 है0 15 / 1 की 0.0250 है० गै० मु० खाला, 15 / 2 की 0.2280 है0, 16 / 3 की 0.0220 है0, 17 / 1 की 0. 0250 है0, 15 / 1 की 0.0250 है0, 19 / 1 की 0.0250 है0, 20 / 1 की 0.0250 है० कुल खसरे 11 का कुल क्षेत्रफल 1.3870 है0 नहरी भूमि राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम से दर्ज है ।

रिवाईज्ड स्वीकृत चक प्लान में उक्त खाला की बजाय सीएडी विभाग द्वारा अन्यन्त्र खाल स्वीकृत कर निर्माण करवा दिया गया है अब मौका पर प० नं0 298 / 432 मु० नं. 44 के किला नं. 15 में कोई खाला नहीं है परन्तु राजस्व रिकार्ड में प० नं0 298 / 432 मु० नं. 44 के किला नं. 15 / 1 की 0.0250 है० गै० मु० खाला दर्ज है जिससे वादी के खातेदारी हकूक का हनन् होता है। इसलिए वादी गै० मु० खाला की भूमि को मुमकिन करवाकर नहरी दर्ज करवाकर अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाने की अधिकारी है। यही विनाय दावा है।रोही मौजा 4 बीकेके तहसील नोहर के खाता संख्या 67 / 67 प० नं० 298 / 432 मु० नं. 44 के किला नं. 15 / 1 की 0.0250 है० गै० म० खाला की भूमि को मुमकीन कर किला नं. 15 / 2 में शामिल करवाकर किला नं. 15 की 0.253 है0 भूमि करवा पाने का अधिकारी है। यह कि कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड तृतीय भादरा द्वारा जारी प्रमाण–पत्र में अंकित है कि प० नं0 298 / 432 मु0 नं. 44 के किला नं. 15 की भूमि वादी की खातेदारी भूमि है जिसमें सीएडी विभाग के रिवाईज्ड स्वीकृत चक प्लान में उक्त भूमि में खाला नहीं है। रोही मौजा 4 बीकेके तहसील नोहर के खाता संख्या 67 / 67 प० नं० 198 / 432 मु0 नं. 44 के किला नं. 15 / 1 की 0.0250 है० गै० मु० खाला की भूमि को नहारी तुमकीन भूमि घोषित कर किला नं. 15 / 2 की 0.228 है० भूमि में शामिल कर किला नं. 15 की 1253 है0 नहरी भूमि वादी के नाम खातेदारी दर्ज करने का आदेश फरमावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद प्रतिवादी स0 1 पेरोकार राज ने तथा प्रतिवादी संख्या 2 अधिशांषी अभियंता जल संसाधन [illegible] र से रिपोर्ट प्राप्त की गई जो शामिल मिसल किये गये।।

अधिवक्ता वादी द्वारा [illegible] नकल जमाबंदी रोही मौजा 4 बीकेके सम्वत 2077–80 खाता स0 67 / 67 पेश की जो की शामिल मिसल की गई। तहसीलदार नोहर द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.18 18:37:31 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

रिपोर्ट इस आशय की प्रेषित की गई कि रोही मौजा 4 बीकेके तहसील नोहर के खाता संख्या 67/67 प० नं० 198/432 मु0 नं. 44 के किला नं. 15/1 की 0.0250 है० गै.मु. खाला दर्ज राजस्व रिकार्ड है लेकिन उक्त किलो में सीएडी द्वारा कोई खाला निर्मित नही है एव न ही मौके पर चालू है एवं अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड भादरा द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की गई कि रोही मौजा 4 बीकेके तहसील नोहर के खाता संख्या 67/67 प० नं० 198/432 मु0 नं. 44 के किला नं. 15/1 की 0.0250 है० भूमि में कोई खाला निर्मित नही है।

साक्ष्यवादी में वादी द्वारा शपथ पत्र पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि रोही मौजा 4 बीकेके तहसील नोहर के खाता संख्या 67/67 प० नं० 198/432 मु0 नं. 44 के किला नं. 15/1 की 0.0250 है० गै.मु. खाला दर्ज राजस्व रिकार्ड है लेकिन उक्त किलो में सीएडी द्वारा कोई खाला निर्मित नही है एव न ही मौके पर चालू क्योंकि सिचिंत क्षेत्र विकास विभाग द्वारा संशोधित चक स्कीम में अन्य जगह पर खाला स्वीकृत किया गया है लेकिन राजस्व रिकार्ड में उक्त किला न0 में आज भी गै0मु0 खाला दर्ज है इसलिए वादी उक्त गै0मु0 खाला की भूमि को अपने नाम मुमकिन दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

पेरोकार राज ने निवेदन किया वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं राज्य हकों को ध्यान मे रखते हुए वाद का निस्तारण किया जावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों यथा नवीनतम जमाबंदी का अवलोकन किया वाद में प्रस्तत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 4 बीकेके तहसील नोहर के खाता संख्या 67/67 के प० नं0 298/432 (44) के किला नं. 11 ता 14 प्रत्येक की 0.253 है0 15/1 की 0.0250 है० गै० मु० खाला, 15/2 की 0.2280 है0, 16/3 की 0.0220 है0, 17/1 की 0. 0250 है0, 15/1 की 0.0250 है0, 19/1 की 0.0250 है0, 20/1 की 0.0250 है० कुल खसरे 11 का कुल क्षेत्रफल 1.3870 है0 नहरी भूमि राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम से दर्ज है वादी का कथन है कि रोही मौजा 4 बीकेके तहसील नोहर के खाता संख्या 67/67 प० नं० 198/432 मु0 नं. 44 के किला नं. 15/1 की 0.0250 है० गै० मु० खाला दर्ज राजस्व रिकार्ड है लेकिन उक्त किलो में सीएडी द्वारा कोई खाला निर्मित नही है एव न ही मौके पर चालू है इसलिए वादी उक्त गै0मु0 खाला की भूमि को अपने नाम मुमकिन दर्ज किया जावे। अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड नोहर द्वारा रिपोर्ट इस आशय की प्रेषित की गई की रोही मौजा 4 बीकेके तहसील नोहर के खाता संख्या 67/67 प० नं० 198/432 मु0 नं. 44 के किला नं. 15/1 की 0.0250 है०.भूमि में कोई खाला निर्मित नही है एवं तहसीलदार नोहर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के मुताबिक भी रोही मौजा 4 बीकेके तहसील नोहर के खाता संख्या 67/67 प० नं० 198/432 मु0 नं. 44 के किला नं. 15/1 की 0.0250 है० गै.मु. खाला दर्ज राजस्व रिकार्ड है लेकिन उक्त किलो में सीएडी द्वारा कोई खाला निर्मित नही है एव न ही मौके पर चालू है।

गै0मु0 खाला अथवा रास्ता के बदलाव/निरस्तीकरण हेतु राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेशन) शर्ते 1955 की शर्त संख्या 8(1) व 8(2) में वर्णित प्रावधानों व प्रदत्त शक्तियों तथा न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2011(1) स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम राजपाल पेज न0 167, आरआरडी 1987 पेज न0 279 एवं आरआरडी 1998 पेज न0 699 के अनुसार जब कभी भी किसी कारणवंश पूर्व में निर्मित रास्ता एवं खाले को निरस्त किया जाता है तो वह रास्ता एवं खाले की भूमि उसी काश्तकार के खाते में प्रत्याहित हो जावेंगी जिसके खाते में यह कम की गई थी।

पत्रावली में प्रस्तुत दस्तोवजों के अवल[illegible] पाया गया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम दर्ज है [illegible] तहसील नोहर के खाता संख्या 176/67 प० नं० 298/432 मु० नं. 44 के किला [illegible]/1 की 0.0260 है० लेकिनं जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार उक्त किला में [illegible] न तो निर्मित है एवं नही चालु है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.18 18:37:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

तहसीलदार नोहर के रिपोर्ट के अनुसार उक्त किलों में खाले का निर्माण नही है अब सिंचाई विभाग द्वारा खाला अन्य जगह पर स्वीकृत किया जा चुका है इसलिए वादी की भूमि में से गै0मु0 खाला/रास्ता के लिए कम की गई भूमि को पुनः वादी अपने नाम बतौर खातेदार दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वादी के कथनो की पुष्टि सम्बधित विभाग अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड नोहर एवं पेरोकार राज के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मौका रिपोर्ट से होने के कारण वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एव न्यायिक दृष्टान्तो के मध्यनजर वाद वादी सावित होने के काविल डिक्री है।

उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों, पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं जल संसाधन विभाग नोहर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार (राजस्व) नोहर की रिपोर्ट के आधार पर वाद वादीगण साबित होने के कारण स्वीकार योग्य है।

अतः अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड भादरा एवं तहसीदार (राजस्व) नोहर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 4 बीकेके तहसील नोहर के खाता संख्या 67/67 प० नं० 198/432 मु0 नं. 44 के किला नं. 15/1 की 0.0250 है० गै० मु० खाला की भूमि को नहारी मुमकीन भूमि घोषित कर किला नं. 15/2 की 0.228 है० भूमि में शामिल कर किला नं. 15 की 0.253 है0 नहरी भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हों। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09/07/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.18 18:37:31 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 870 / 2021

अनवान : –

1. मनोज कुमार खदरीया पुत्र श्याम सुन्दर खदरीया जाति अग्रवाल निवासी नोहर तहसील नोहर ।

– वादी

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
2. अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड भादरा तहसील भादरा।

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 870 सन 2021 निर्णय दिनांक 09/07/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड भादरा एवं तहसीलदार नोहर द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 4 बीकेके तहसील नोहर के खाता संख्या 67 / 67 प० नं० 198 / 432 मु0 नं. 44 के किला नं. 15 / 1 की 0.0250 है० गै० मु० खाला की भूमि को नहरी मुमकीन भूमि घोषित कर किला नं. 15 / 2 की 0.228 है० भूमि में शामिल कर किला नं. 15 की 0.253 है0 नहरी भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हों। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 09/07/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.18 18:37:31 IST
Reason: SelfAttested